



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली।

आदेश सं.-/32./जिविसोप्रा/2024

दिनांक: मार्च 02, 2024

कार्यालय आदेश

माननीय उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 287/एसएलएसए-99/2019 (Haider/Ri) दिनांकित जनवरी 26, 2024 के अनुक्रम में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली द्वारा जारी विज्ञापन अनुसार लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम में विभिन्न पदों हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 15.02.2024 की सायं 05:00 बजे तक चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल हेतु प्राप्त कुल 64 आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में चयन समिति लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के निर्देशानुसार निम्न प्रकार से हैं:-

1- चीफ/डिप्टी/असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल हेतु साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन की तिथियां निम्नवत निर्धारित हैं:

क्र.सं.	पदनाम	काउन्सिलिंग/दस्तावेज सत्यापन की तिथि व समय	साक्षात्कार की तिथि व समय
1	चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम	12.03.2024, अपराह्न 01:00 बजे	12.03.2024, अपराह्न 04:30 बजे
2	डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम	12.03.2024 एवं 13.03.2024 अपराह्न 01:00 बजे	12.03.2024 एवं 13.03.2024 अपराह्न 04:30 बजे
3	असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम	13.03.2024, 14.03.2024 एवं 15.03.2024 अपराह्न 01:00 बजे	13.03.2024, 14.03.2024 एवं 15.03.2024 अपराह्न 04:30 बजे


2-जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ सत्र न्यायालयों में विपक्षी अभियुक्त की ओर से पैरवी के समर्थन में निर्णय की प्रतियां, जिरह की प्रतियां व उक्त वादों के समर्थन में वकालतनामों की सत्यापित प्रतियां एवं अन्य संलग्न जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने हैं, नहीं लगाये गये हैं वह अभ्यर्थी दिनांक 07.03.2024 की सायं 05:00 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली के कार्यालय में अवश्य जमा करा दें, अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थन अपात्रता की श्रेणी में माना जायेगा।

3-अभ्यर्थियों के साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को पृथक से भी सूचना पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं।

4- दस्तावेज सत्यापन का कार्य जनपद न्यायालय सभागार, बरेली में होगा। सभी आवेदक अपने मूल दस्तावेजों तथा फोटो आई.डी. प्रूफ के साथ उपस्थित होंगे।


5- नियत तिथि व समय के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन तथा साक्षात्कार हेतु किसी भी आवेदक के आवेदन पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

6- आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/आवासीय सुविधा प्रदान नहीं किया जायेगा।


(सत्य प्रकाश आर्य)
अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बरेली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

- 1- माननीय चयन समिति, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, बरेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- माननीय नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय बरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त सूचना जनपद न्यायालय, बरेली की वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु सम्यन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
- 3- श्रीमान अध्यक्ष/सचिव, बरेली वार एशोसियेशन, बरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वह उक्त सूचना बरेली वार के समस्त नोटिस बोर्डों पर चस्पा करायें।
- 4- कार्यालय लिपिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उक्त सूचना केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, बरेली, प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय, बरेली एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
- 5- डाटा एन्ट्री आपरेटर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली उक्त सूचना समस्त अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में उपलब्ध कराये गये ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें।


 (ज्योती आर्य)
 अपर जिला जज/सचिव
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
 बरेली।